तीसरी व अंतिम फुल ड्रेस रिहर्सल में उमड़ा जनसैलाब और देशभक्ति के गूंजे नारे

सेना दिवस परेड-2026 ने जयपुर शहर को राष्ट्रभक्ति, गौरव और सैन्य सामर्थ्य के उत्सव में बदल दिया है

जयपुर (निसं)। राजधानी जयपुर में आयोजित हो रही सेना दिवस परेड-2026 ने शहर को राष्ट्रभक्ति, गौरव और सैन्य सामर्थ्य के उत्सव में बदल दिया है। पहली बार आर्मी एरिया से बाहर आयोजित हो रही इस 78वीं सेना दिवस परेड को लेकर आमजन में अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिल रहा है। जगतपुरा स्थित महल रोड पर मंगलवार को आयोजित तीसरी और अंतिम फुल ड्रेस रिहर्सल में हजारों की संख्या में मातृशक्ति, युवा, विद्यार्थी एवं नागरिकों ने सहभागिता कर भारतीय सेना के साहस, पराक्रम, अनुशासन और आधुनिक युद्ध क्षमता का सजीव अनुभव किया। इस दौरान लोगों ने देशभक्ति के नारों से वातावरण को गुंजायमान कर भारतीय सेना का उत्साहवर्धन किया।

फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान भारतीय सेना की आधुनिक सैन्य एवं युद्धक क्षमता का व्यापक प्रदर्शन किया गया। स्वदेशी तकनीक से विकसित मिसाइल प्रणालियां, अत्याधुनिक टैंक, सैन्य वाहन, ड्रोन, एंटी एयर एवं एंटी टैंक हथियारों के माध्यम से सेना की सामरिक शक्ति को प्रदर्शित किया गया।

ऑपरेशन सिंदूर की झांकी, ब्रह्मोस मिसाइल, हेलिकॉप्टर आधारित हथियार प्रणाली तथा रोबोटिक डॉग्स ने भविष्य की युद्ध रणनीतियों की झलक प्रस्तुत की।

राजधानी जयपुर में सेना दिवस परेड-2026 में सेना के जवानों ने अनेक करतब दिखाये जिससे आमजन रोमांचित हुए।

इस दौरान भारतीय सेना की ड्रोन शक्ति (ईगल प्रहार) विशेष आकर्षण का केन्द्र रही। चार हजार मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरने वाले अत्याधुनिक ड्रोन आधुनिक युद्ध तकनीक को स्पष्ट रूप से दर्शाते नजर आए। नवगठित भैरव बटालियन द्वारा ड्रोन आधारित अभियानों की क्षमता का प्रदर्शन किया गया।

कॉम्बैट ड्रोन्स ने जहां आमजन को आकर्षित किया वहीं रडार बेस्ड ड्रोन जैमर सिस्टम और सम्युक्ता जैमर सिस्टम आदि के माध्यम से आमजन को भारत की प्रतिरक्षा प्रणाली से अवगत करवाया गया।

ऑल-टेरेन वाहनों के प्रदर्शन तथा मॉड्यूलर ब्रिज निर्माण जैसी व्यवस्थाओं ने यह स्पष्ट किया कि भारतीय सेना केवल युद्ध में ही नहीं, बल्कि आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों में भी समान रूप से सक्षम है। अनुशासित कदमताल के साथ आर्मी बैंड और घुड़सवार टुकड़ियों ने दर्शकों को गर्व से भर दिया।

वहीं, अपाचे, प्रचंड और चेतक हेलिकॉप्टरों की उड़ानों ने दर्शकों को रोमांचित किया। इसी प्रकार, भारतीय सेना के जवानों ने मोटरसाइकिल पर पिरामिड निर्माण, एक टायर पर सवारी तथा अशोक स्तंभ और कमल जैसे राष्ट्रीय प्रतीकों का प्रदर्शन कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान की परम्परा को दर्शाते इस आयोजन में विभिन्न वीरता पुरस्कार विजेताओं के दस्ते, नेपाली आर्मी बैण्ड, 61 कैवेलरी रेजीमेंट, हाई मॉबिलिटी रिकॉनिनेंस व्हीकल, भीष्म टैंक, मुख्य युद्ध टैंक अर्जुन मार्क-1, नाग मिसाइल सिस्टम मार्क-1, अपग्रेडेड शिल्का, स्पेशलिस्ट मॉबिलिटी व्हीकल, क्विक रिएक्शन

■ भारतीय सेना की ड्रोन शक्ति (ईगल प्रहार) विशेष आकर्षण का केन्द्र रही

फाइटिंग व्हीकल, लाइट स्ट्राइक व्हीकल, व्हीकल माउंटेड इन्फेन्ट्री मोर्टार सिस्टम, जू-23 मिनी गन, एल-70 वायु रक्षा तोप, यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम-सूर्यास्त्र, सेटेलाइट संचार प्रणाली, शक्तिबाण रेजीमेंट, स्वदेशी नस्लों के सैन्य डॉग्स आदि की भागीदारी ने लोगों में गर्व, स्वाभिमान, उत्साह और रोमांच का संचार किया।

इस दौरान आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत 2047 की झलक दिखलाती झांकी आकर्षण का केन्द्र रही। वहीं, राजस्थानी कला-संस्कृति के प्रदर्शन ने भी लोगों का मन मोहा। उल्लेखनीय है कि 15 जनवरी को मुख्य सेना दिवस परेड का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली से बाहर सेना दिवस परेड की मेजबानी करने वाले शहरों में जयपुर चौथा शहर है।

इस सेना दिवस परेड के सफल आयोजन के लिए राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, पार्किंग, स्वच्छता, पेयजल, चिकित्सा एवं आपातकालीन सेवाओं के साथ महिला एवं दिव्यांग दर्शकों की सुविधा सुनिश्चित की गई है।

अवैध खनन को वैध दर्शाकर सरकार को पहुंचाई राजस्व हानि

जयपुर(निसं)। अवैध खनन को वैध दर्शाकर सरकार को भारी राजस्व हानि पहुंचाने के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की भरतपुर टीम ने प्राथमिक जांच के बाद खनिज विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों,क्रेशर मालिकों और रॉयल्टी ठेकेदारों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पुलिस महानिदेशक गोविन्द गुप्ता ने बताया किएसीबी को मिली शिकायत में आरोप था कि खनिज विभाग भरतपुर के अधिकारी-कर्मचारी, क्रेशर मालिक और रॉयल्टी ठेकेदार मिलकर बंद पड़ी खदानों के रवन्नों का दुरुपयोग कर बड़े पैमाने पर अवैध खनन करा रहे हैं और उसे वैध खनन दर्शाया जा रहा है। जिस पर एसीबी द्वारा की गई जांच में प्रथम

■ एसीबी ने खनिज विभाग के अफसर-कर्मचारियों सहित क्रेशर मालिकों पर दर्ज किया मामला

दृष्टया यह सामने आया कि आरोपियों ने आपसी मिलीभगत से लाखों टन खनिज संपदा का अवैध खनन किया और रवन्नों का दुरुपयोग कर उसे वैध बताकर सरकार को भारी राजस्व नुकसान पहुंचाया।

इसके बाद रामनिवास मंगल, तत्कालीन खनिज अभियंता,भरतपुर (वर्तमान में खनिज अभियंता, कोटा),वीरेंद्र कुमार खनिज कार्यदेशक द्वितीय,राजेन्द्र सिंह तत्कालीन खनिज अभियंता,संजू सिंह तत्कालीन सर्वेयर,भीम सिंह तत्कालीन खनिज कार्यदेशक प्रथम,अभिषेक तंवर लीज मालिक,जेपी एंड ब्रॉस क्रेशर मालिक,पारस इन्फ्रा,सीडीएस इन्फ्रा,बालाजी एंड कंपनी,शुभ लाभ स्टोन क्रेशर और रॉयल्टी ठेकेदार मैसर्स देव दशरथ सहित अन्य लोगों की भूमिका संदिग्ध पाई जाने पर इनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया।एसीबी के अनुसार खनिज विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए क्रेशर मालिकों और रॉयल्टी ठेकेदारों को अवैध खनन में संरक्षण दिया गया। जिससे राज्य सरकार को राजस्व की गंभीर हानि हुई। वहीं प्रकरण दर्ज होने के बाद एसीबी द्वारा अग्रिम अनुसंधान जारी है और मामले में और भी खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।

सेना दिवस,राष्ट्रपति यात्रा और आयोजनों के चलते जयपुर में ट्रैफिक डायवर्जन

जयपुर(निसं)। 15 जनवरी को सेना दिवस पर जयपुर में आर्मी परेड एवं शौर्य संध्या कार्यक्रम तथा 16 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जयपुर यात्रा के मद्देनजर शहर में सुरक्षा और यातायात के विशेष इंतजाम किए गए हैं। इन आयोजनों के कारण कई प्रमुख मार्गों पर यातायात डायवर्ट रहेगा।

जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने शहर वासियों से अपील की है कि 15 और 16 जनवरी को अनावश्यक रूप से प्रस्तावित यात्रा मार्गों और कार्यक्रम स्थलों की ओर न जाएं। अत्यावश्यक स्थिति में यातायात पुलिस द्वारा बताए गए वैकल्पिक मार्गों का ही उपयोग करें। 15 जनवरी को महल रोड, जगतपुरा पर आर्मी डे परेड 2026 का आयोजन होगा। इसके पूर्वाभ्यास के चलते 14 जनवरी तक प्रतिदिन सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक एनआरआई चौराहा से बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहा तक सामान्य यातायात प्रतिबंधित रहेगा। स्थानीय निवासियों के लिए समानांतर मार्ग खुले रहेंगे।

खाटू श्याम सर्किल से एनआरआई चौराहा की ओर जाने वाला यातायात हल्दीघाटी मार्ग और वीआईटी रोड से संचालित किया जाएगा। विधाणी चौराहा, राणा सांगा मार्ग और गोनेर रोड से आने वाले वाहनों को भी आवश्यकता अनुसार डायवर्ट किया जाएगा। कार्यक्रम में आने वाले वाहनों की पार्किंग निर्धारित स्थलों पर होगी।15 जनवरी को सवाई मानसिंह स्टेडियम में शौर्य संध्या कार्यक्रम आयोजित होगा। टोंक रोड, भवानी सिंह रोड, जनपथ, सहकार मार्ग और आसपास के क्षेत्रों में यातायात दबाव के अनुसार डायवर्जन लागू किया जाएगा। कार्यक्रम स्थल के आसपास कई मार्गों पर वाहन पार्किंग निषेध रहेगी।

रोडवेज बसों का संचालन वैकल्पिक मार्गों से किया जाएगा।होटल क्लार्क आमेर में आयोजित पांच दिवसीय जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान भी यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। आगंतुकों के लिए चार निर्धारित पार्किंग स्थलों की व्यवस्था की गई है। ओला-उबर के लिए अलग पिक-एंड-ड्रॉप प्वाइंट तय किए गए हैं। सर्विस लेन में अनधिकृत यातायात और पार्किंग पर प्रतिबंध रहेगा।जयपुर पुलिस ने आमजन से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि यातायात नियमों का पालन करें, वैकल्पिक मार्ग अपनाएं और पुलिस द्वारा जारी निर्देशों का अनुसरण करें।

आम सूचना सर्व साधारण को सुचित किया जाता हैं कि मेरे अभिभाष्यगण श्री रामस्वरूप शर्मा पुत्र स्व0 श्री रामजीलाल शर्मा एवं श्रीमती मूर्ति देवी पत्नी श्री रामस्वरूप शर्मा निवासीगण प्लाट नं. 40 ए मधुवन कॉलोनी सीकर रोड रामपुरा डाबडी तहसील आमेर जिला जयपुर का पुत्र विकास शर्मा पुत्र श्री रामस्वरूप शर्मा आयु 38 वर्ष मेरेअभिभाष्यगण के कहने मे नही है इसलिये मेरे अभिभाष्यगण अपने पुत्र विकास शर्मा को अपनी समस्त चल व अंचल सम्पत्ति से बेदखल करते है विकास शर्मा का मेरे अभिभाष्यगण व अभिभाष्यगण के परिवार से कोई वास्ता नही है अगर कोई - व्यक्ति / संस्था मेरे अभिभाष्यगण के पुत्र विकास शर्मा से सबंध रखता है और लेन देन करता है तो स्वयं जिम्मेदार होगा इसमे मेरे अभिभाष्यगण की कोई जिम्मेदार नही रहेगी कृपया सुचित रहे।
जयपुर मुकेश कुमावत, एडवोकेट
दिनांक-9/1/2026 मो.नं. 9782466820

आम सूचना मेरे मुवक्किलान अब्दुल मुजीब, अब्दुल मोईन पुत्रान अब्दुल मुबीन के स्वामित्व व अधिकार की एक आवासीय सम्पत्ति प्लाट नम्बर 45 व 46 (नया नम्बर 277 व 278), एच ए आर कॉलोनी, मस्जिद के सामने, चार दरवाजा, जयपुर मे स्थित है, उक्त सम्पत्ति का मेरे मुवक्किलान संयुक्त रूप से मालिक, स्वामी, काबिज व अधिकारी है, मेरे मुवक्किलान ने उक्त वर्णित सम्पत्ति को किसी भी व्यक्ति, संस्था, सरकार या किसी भी अन्य को बेचान नही की है ना अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित की है। मेरे मुवक्किलान अपने संयुक्त स्वामित्व की उक्त सम्पत्ति को बेचान भी नही करना चाहते है यदि किसी व्यक्ति के द्वारा उक्त सम्पत्ति खरीद की जाती है तो उसका जिम्मेदार वह स्वयं होगा। सूचित रहे।
(इमरान अहमद) एडवोकेट, मो.9828087883, 7877107041

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in
क्रमांक: F-JDA/Zone 11/2025/D-162 **आम सूचना**
आवेदक दुवारा ऑनलाईन क्रमांक 271332 दिनांक 12.12.2025 को निम्नांकित भूखण्ड का नाम ट्रांसफर जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है।

आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.ग.)	गृ.नि.स. स./निजी खातेदारी/ जनिप्रा का नाम	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
Gajanand Kumawat S\O Babulal Kumawat	श्री लोमचन्द बंसल पुत्र श्री सुरेश चन्द बंसल	409	111.11 Sq Yard	Private	Gokul Residency Sector/ block	Name Transfer	एक से अधिक बार बेचान एवं रजि विक्रय पत्रों के आधार पर

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी ।

कार्यालय उप आवासन आयुक्त वृत्त-प्रथम
राजस्थान आवासन मण्डल, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक-9453 दिनांक-31.12.2025
जाहिर आम-सूचना
राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना मे आवास संख्या 68/278 (MIG-B), का आवंटन श्री हरस्वरूप शर्मा व श्री सरोज शर्मा को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 827 दिनांक 29.06.1996 के द्वारा जारी किया गया था। श्री हरस्वरूप शर्मा व श्री सरोज शर्मा द्वारा श्री अखिलेश मिश्रा पुत्र श्री राजेन्द्र प्रकाश मिश्रा को दिनांक 05.02.2023 को मुख्त्यारनामा आम धारक नियुक्त किया गया। श्री अखिलेश मिश्रा द्वारा श्री हरस्वरूप शर्मा व श्री सरोज शर्मा के पक्ष मे पंजीयन निष्पादन दिनांक 08.05.2008 को करवाया गया।
श्री अखिलेश मिश्रा द्वारा मुख्त्यारआम की हैसियत से पंजीयन पश्चात उक्त आवास का विक्रय कर श्रीमती भावना शर्मा पत्नी श्री अखिलेश मिश्रा को दिनांक 31.10.2025 विक्रय पत्र उप पंजीयक (पंचम) जयपुर मे पंजीकृत करवाया गया। क्रेता/क्रेती श्रीमती भावना शर्मा पत्नी श्री अखिलेश मिश्रा द्वारा आवासन मण्डल मे उक्त आवास पर अपना नाम मण्डल रिकार्ड मे दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हैं।
अत उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय मे 7 दिवस मे अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड मे नाम दर्ज करने मे किसी को कोई आपत्ति नहीं है, श्रीमती भावना शर्मा पत्नी श्री अखिलेश मिश्रा का नाम मण्डल रिकार्ड मे दर्ज कर दिया जावेगा। का नाम मण्डल रिकॉर्ड मे दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-प्रथम
राज.आवा.मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक-9433 दिनांक-30.12.2025
जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना मे आवास संख्या 71/54 (एरिया 120.00 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्रीमती वन्दना गुरटू, पत्नी श्री विष्णु गुरिटू को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 2197 दिनांक 06.01.1996 को जारी किया गया। श्रीमती वन्दना गुरटू के पक्ष मे उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 30.05.2005 को उप पंजीयक सांगानेर-प्रथम, जयपुर के यहां पंजीकृत करवाये गये। श्रीमती वन्दना गुरटू द्वारा श्री अरविन्द कुमार दीक्षित पुत्र श्री एस. डी. दीक्षित को दिनांक 08.06.2005 को मुख्त्यारनामा आम धारक नियुक्त किया गया। श्री अरविन्द कुमार दीक्षित द्वारा मुख्त्यारनामा आम की हैसियत से उक्त आवास को दिनांक 15.06.2005 के द्वारा श्री अभिनीत खुराना पुत्र श्री आत्मप्रकाश खुराना को विक्रय कर उप पंजीयक-सांगानेर-प्रथम, जयपुर के यहां विक्रय पत्र पंजीकृत करवाया गया। श्री अभिनीत खुराना द्वारा उक्त आवास को दिनांक 09.04.2010 के द्वारा श्रीमती मिथलेश गुप्ता पत्नी श्री महेश चन्द गुप्ता को विक्रय कर उप पंजीयक-जयपुर-चतुर्थ, जयपुर के यहां विक्रय पत्र का पंजीकृत करवाया गया। श्रीमती मिथलेश गुप्ता की मृत्यु दिनांक 13.08.2022 को हो जाने के कारण पंजीकृत हकस्थान के आधार पर इनके पति श्री महेश चन्द गुप्ता पुत्र श्री किरोड़ी लाल गुप्ता द्वारा उक्त आवास स्वयं के नाम हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय मे 7 दिवस मे अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड मे नाम दर्ज करने मे किसी को कोई आपत्ति नहीं है, श्री महेश चन्द गुप्ता पुत्र श्री किरोड़ी लाल गुप्ता का नाम मण्डल रिकॉर्ड मे दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-प्रथम, राज.आवा.मण्डल, जयपुर

मकर संक्रांति पर एसएमएस ट्रोमा सेंटर हाई अलर्ट

जयपुर। मकर संक्रांति पर पतंगबाजी के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं में घायलों के त्वरित और बेहतर उपचार के लिए सवाई मानसिंह (एसएमएस) अस्पताल के ट्रोमा सेंटर को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अस्पताल प्रशासन ने 14 और 15 जनवरी को विशेषज्ञ डॉक्टरों की 24 घंटे विशेष ड्यूटी लगाने के निर्देश जारी किए हैं। ट्रोमा सेंटर इंजार्च डॉक्टर बीएल यादव के अनुसार ट्रोमा सेंटर में ऑर्थोपेडिक्स और जनरल सर्जरी के साथ-साथ न्यूरोसर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, एनेस्थीसिया और ईएनटी विभाग के एक-एक सीनियर डॉक्टर (असिस्टेंट प्रोफेसर) तथा एक-एक सीनियर रेजिडेंट तैनात रहेंगे।

इसका उद्देश्य पतंगबाजी से होने वाली गंभीर चोटों, मांझे से कटने, गिरने या अन्य हादसों के मामलों में घायलों को तुरंत विशेषज्ञ उपचार उपलब्ध कराना है।

अस्पताल प्रशासन के अनुसार सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं,ताकि आपात स्थिति में मरीजों को बिना देरी के इलाज मिल सके।

किसानों के हितों को लेकर सरकार सख्त, लंबित क्लेम पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश

जयपुर, (निसं)। प्रदेश में कृषकों के कल्याण को लेकर राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के तहत मंगलवार को पंत कृषि भवन, जयपुर में प्रदेश के विभिन्न किसान संघों एवं संगठनों के प्रतिनिधियों ने कृषि मंत्री डॉ.किरोड़ी लाल के साथ संवाद किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषक आदान-अनुदान, नवीन बीज विधेयक, पेस्टीसाइड्स मैनेजमेंट बिल सहित कृषि एवं उद्यानिकी विभाग से संबंधित योजनाओं तथा बजट घोषणाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं कृषक आदान-अनुदान योजनाओं के अंतर्गत देय राशि में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने किसान संगठनों द्वारा बीमा कंपनियों के संबंध में की गई शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित कंपनियों से स्पष्टीकरण मांगने तथा लंबित क्लेम प्रकरणों पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसान संगठनों से प्राप्त सुझावों के आधार पर योजनाओं को और अधिक किसान हितैषी बनाया जाएगा। कृषि मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि फसल बीमा एवं आदान-अनुदान से संबंधित प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाया जाए। संवाद के दौरान उन्होंने विभिन्न जिलों में लंबे समय से लंबित प्रकरणों की जानकारी ली और उन्हें शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए।

किसानों द्वारा खेतों में जंगली सूअरो एवं निराश्रित पशुओं से होने वाले नुकसान की शिकायत के संबंध में कृषि मंत्री ने बताया कि इस विषय में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। साथ ही, तारबंदी योजना में आवश्यक संशोधन के लिए भी कार्य प्रस्तावित है। उन्होंने फसलों में हुए नुकसान के सर्वे कार्य को समय पर पूर्ण कर किसानों को शीघ्र सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

केरल समाज आज मनाएगा मकर विलक्कू महोत्सव

जयपुर। केरल समाज की ओर से बुधवार को मकर विलक्कू महोत्सव मनाया जाएगा। गोपालपुरा और खातीपुरा स्थित अय्यप्पा मंदिरों में शबरिमला की परंपरा के अनुरूप विशेष पूजा-अर्चना की जाएगी। संक्रांति की संध्या महादीपाराधना के साथ कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। इसके बाद अय्यप्पा भजना समिति एवं आमंत्रित कलाकारों द्वारा भरतनाट्यम, मोहिनियाट्टम, सेमी क्लासिकल नृत्य, कथक, कैकोट्टिकली तथा तिरूवातिराकली की भावपूर्ण प्रस्तुतियां दी जाएंगी। भक्तिमय वातावरण में स्वामी शरणम् अय्यप्पा शरणम् के जयघोष के साथ महोत्सव अपने चरम पर पहुंचेगा। इससे पूर्व मंगलवार को मकर विलक्कू महोत्सव की पूर्व संध्या पर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। खातीपुरा स्थित अय्यप्पा मंदिर में सुबह पल्लिउणरत के बाद अष्ट द्रव्य महागणपति हवन किया गया। दिन भर भगवान अय्यप्पा का दूध, घी, शहद, नारियल जल एवं अन्य द्रव्यों से अभिषेक हुआ। संध्या काल में पुष्पालंकार, फूलों की रंगोली और चुट्ट विलक्कु के साथ महाआरती की गई। इस अवसर पर मंदिर परिसर में 1008 दीपों से चुट्टिवलक्कु तथा 108 दीपों की दीपास्थम्भम प्रज्वलित की गई।वहीं गोपालपुरा स्थित अय्यप्पा मंदिर में तीन दिवसीय 41वीं प्राण प्रतिष्ठा समारोह एवं मकर विलक्कू महोत्सव का शुभारंभ पल्लि उणरत से हुआ था। हरिनाम कीर्तन, अष्ट द्रव्य महागणपति हवन, आष्टाभिषेक और भगवान अय्यप्पा के विविध द्रव्यों से अभिषेक किए गए।

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/1134
चूंकि प्रार्थी श्री DABLESH KUMAR VERMA SHYOPUR 57-58, SHYAM VIHAR COLONY, JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास जन उत्थान सामाजिक सेवा संस्थान 23, NARDHAMAN COLONY SANGANER, JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 09.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 18.03.2026
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

रेलवे ट्रैक के पास युवक का शव मिलने से सनसनी फैली

जयपुर(निसं)। कानोता थाना इलाके में रेलवे ट्रैक के पास एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। युवक की लाश लहूलुहान हालत में पड़ी मिली, चेहरा बुरी तरह बिगड़ा हुआ था और दोनों पैर टूटे हुए पाए गए। प्रथम दृष्टया युवक की मौत ट्रेन की चपेट में आने से होना प्रतीत हो रहा है।

सूचना मिलने पर जीआरपी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। हेड कॉन्स्टेबल कमल किशोर ने बताया कि कानोता रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर पटरियों के पास युवक का शव पड़ा मिला। पटरियों पर लाश देखे जाने के बाद स्टेशन मास्टर ने जीआरपी को सूचना दी थी। पुलिस द्वारा मौके पर किए गए मुआयने में प्रथम दृष्टया जांच में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत होने की संभावना जताई गई है।

गोदम्बाजी का विवाह उत्सव मनाया

जयपुर। लक्ष्मीनारायण पुरी स्थित श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर में महंत त्रिविक्रमचार्य के सान्निध्य में मंगलवार को गोदम्बाजी का विवाह वैष्णव परंपरा के अनुसार उत्सव धूमधाम से मनाया गया।

सम्मन बनाम कायम मुकाम
(आदेश 22 रूल 4 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत न्यायालय अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश क्रम-1 जयपुर जिला जयपुर
महेश बनाम परमानन्द
दावा बाबत order 9 Rule 9 & CPC Restoration
मुकदमा नम्बर 4 सन् NCV No. 7/18
बनाम- 1/4/1 राखी शर्मा पत्नी स्व. योगेश चन्द शर्मा, 1/4/2 मानव शर्मा पुत्र स्व. योगेश चन्द शर्मा,, 1/4/3 उन्नति शर्मा पुत्री स्व. योगेश चन्द शर्मा निवासीगण ग्राम कांडनबास, तहसील बस्सी, जिला जयपुर
चूंकि वादी/प्रार्थी महेश ने इस अदालत में तारीख 12 माह 03 सन् 2018 को 1. महेश वगै. बनाम 2. परमानन्द वगै. प्रार्थना पत्र आदेश आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 CPC दायर की जो कि बाद अप्रार्थी योगेश अप्रार्थी में फोत हो गया और चूंकि प्रार्थी महेश मजकूर के दरख्वास्त अदालत हाजा में यह जाहिर करने की आप मुतवफ्फी योगेश अप्रार्थी मजकूर के कायम मुकाम जायज हो और इस्तदुआ की है बजाय उसके आप 3 पक्षकार/अप्रार्थीगण बनाये जावें।
लिहाजा बजरिये हाजा बगर्ज जवाबदेही 1....आपको तारीख 17 माह 1 सन् 2026 को अदालत हाजा में हाजिर होने के लिए तलब किया जाता है और तारीख मुकर्रर पर आपके हाजिर न होने पर मुकदमा आपकी गैर हाजिरी में सुना व फैसला किया जावेगा।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 6 माह 1 सन् 2026 को जारी किया गया।
दस्तखत
अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-1 जयपुर जिला जयपुर
मोहर अदालत

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/1135
चूंकि प्रार्थी श्री SHASHIKANT SHARMA A-51, GANPATI NAGAR, MAIN BUS STAND RAJAWAS JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास श्री इच्छा पूर्णेश्वर महादेव मंदिर समिति A 190, MAIN GANPATI NAGAR RAJAWAS JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 09.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 18.03.2026
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

मकर संक्रान्ति पर राज्यपाल बागडे की शुभकामनाएं

जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने मकर संक्रान्ति (14 जनवरी) पर सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

राज्यपाल बागडे ने कहा है कि मकर संक्रांति जीवन के उजास का प्रतीक पर्व है। सूर्य की आराधना का यह पर्व हमें जीवन में सकारात्मक सोच रखते हुए आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करता है। बागडे ने सभी से अपील की है कि संक्रांति पर पतंग उड़ाते समय चाइनीज मांझे का प्रयोग नहीं करें। उन्होंने इस पर्व पर सभी के लिए अच्छे स्वास्थ्य, सौभाग्य और समृद्धि की कामना की है।

भजनलाल सरकार ने युवाओं को दी भर्ती कलैंडर की ऐतिहासिक सौगात: राजेंद्र राठौड़

जयपुर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रदेश की भाजपा सरकार को युवा हितैषी बताते हुए कहा कि पहली बार राष्ट्रीय युवा दिवस पर 1 लाख से अधिक सरकारी पदों पर वर्ष 2026 का भर्ती कलैंडर जारी कर युवाओं को ऐतिहासिक सौगात दी है। उन्होंने कहा कि यह 44

■ अब प्रदेश के युव